

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-स.3(2)(11)स्था/अभि./17/ 8131-40

दिनांक 27/6/18


कार्यालय आदेश:-

अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 421-498 दिनांक 23.11.2017 के द्वारा आरक्षित सूची के निम्न सहायक अभियोजन अधिकारियों के नियुक्ति आदेश जारी कर सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु इन्होंने पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण नहीं किया:-

| क्र.सं. | नाम | मेरिट सं | पदस्थापन स्थान |
|---------|-----------------------|----------|---------------------------------|
| 1. | सुश्री सरोज चतुर्वेदी | आर-03 | एसीजे (जेडी) जेएम, बांरा |
| 2. | श्रीमती रेणू | आर-86 | सीजे(जेडी)जेएम, जायल जिला नागौर |

अतः उपरोक्त दोनो अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



(रमेश कुमार शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:-निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सहायक, माननीय गृहमंत्री महोदय, राजस्थान।
- 2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
- 5- निजी सचिव, सचिव कार्मिक विभाग, जयपुर।
- 6- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह(ग्रुप-10) विभाग।
- 7- संबंधित उप/सहायक निदेशक अभियोजन।
- 8- संबंधित नव नियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी।
- 9- निजी /रक्षित पत्रावली।



निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर